



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

बी. एस. मिरगे /B. S. Mirge

जनसंपर्क अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी
Public Relations Officer & Public Information Officer

27/2021-22/2002/ 12655

दिनांक : 30 /03/2022

महादेय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 02.03.2022 का आवेदन कार्यालय में दिनांक 02.03.2022 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना के अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
01	लोक सूचना अधिनियम के तहत सूचित कीजिए कि कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित पत्र दिनांक 23.02.2022 के संदर्भ में क्या निर्णय लिया गया है ?	संबंधित जानकारी आपको दिनांक 04.03.2022 को ई-मेल के माध्यम से जानकारी प्रेषित की गई है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (कुल 04 पृष्ठ)

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र
फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय

(बी. एस. मिरगे)

संलग्नक : यथोपरि।